प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

4 दिसंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वर्ण धातु ऋण (जीएमएल) योजना में संशोधन जारी किया

29 सितंबर 2025 को, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण धातु ऋण) निदेश, 2025 का मसौदा जारी किया था, जिसमें हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। निदेशों के मसौदे का उद्देश्य मुख्य रूप से (i) स्वर्ण धातु ऋण (जीएमएल) संबंधी विनियमों को समेकित करना; (ii) विवेकपूर्ण पहलुओं में कुछ विनियामक अंतराल को दूर करना; (iii) जीएमएल योजना के दायरे का विस्तार करना; और (iv) बैंकों को जीएमएल पर अपनी नीति तैयार करने में अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करना था।

2. उपरोक्त निदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और इसे अंतिम रूप देते समय उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। निदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया पर विवरण अनुबंध में दिया गया है।

3. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज स्वर्ण धातु ऋण से संबंधित वर्तमान अनुदेशों में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन निदेश जारी किए हैं:

1) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण सुविधाएं) संशोधन निदेश, 2025

2) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - ऋण सुविधाएं) संशोधन निदेश, 2025

4. इन संशोधन निदेशों का उद्देश्य घरेलू और आभूषण निर्यातकों के लिए विनियमों का एक सुव्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण समूह सुनिश्चित करना है ताकि कारोबार में आसानी हो, साथ ही स्वर्ण धातु ऋणों पर एक पर्यवेक्षी एमआईएस विकसित किया जा सके।

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1628